57

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : श्री एम0के0 सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 558–एक/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 11–2–2015 – पारित व्दारा अनुविभागीय अधिकारी, अजयगढ़ जिला पन्ना – प्रकरण कमांक 13 अ–27 / 2013–14 अपील

1– जाहिदा खातून पुत्री स्व.कल्लू खॉ
2– आरफा खातून पुत्री स्व. कल्लू खॉ
दोनों ग्राम अमरक्षी तहसील अजयगढ़
जिला पन्ना मध्य प्रदेश ———आवेदकगण

विरूद्ध

1– दायम खान पुत्र इस्मायल खॉ उर्फ ईसम खॉ
ग्राम अमरक्षी तहसील अहजयगढ़ जिला पन्ना
2– म0प्र0शासन ———अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री एल0एस0धाकड़)
(अनावेदक क–1 के अभिभाषक श्री एस0पी0धाकड़)
(अनावेदक–2 के पैनल लायर श्री अनिल श्रीवास्तव)

आ दे श

(आज दिनांक 3 – 11 – 2016 को पारित)

अनुविभागीय अधिकारी, अजयगढ़ जिला पन्ना व्दारा प्रकरण कमांक 13 अ–27/2013–14 अपील में पारित आदेश दिनांक 11–2–2015 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत यह निगरानी प्रस्तुत की गई।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक क–1 ने तहसीलदार वृत्त धरमपुर तहसील अजयगढ़ के समक्ष म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा

178 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत कर ग्राम अमरछी की कुल किता 8 कुल रकबा 8.47 हैक्टर के बटवारे की मांग की। तहसीलदार वृत्त धरमपुर तहसील अजयगढ़ ने प्रकरण कमांक 3 अ—27/13—14 पंजीबद्व किया तथा जॉच एंव सुनवाई कर आदेश दिनांक 30—12—13 पारित किया तथा दायम, हबीब, कल्लू के बीच उक्तांकित भूमि का बटवारा कर दिया। इस आदेश के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी अजयगढ़ के समक्ष अपील कमांक 13 अ—27/2013—14 प्रस्तुत हुई। अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 11—2—15 पारित करके अपील विलम्ब से प्रस्तुत होने के कारण निरस्त कर दी। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर हितबद्व पक्षकारों के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ हितबद्व पक्षकारों के अभिभाषकों के तर्कों पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से प्रथम दृष्टया पाया गया कि अनुविभागीय अधिकारी अजयगढ़ के समक्ष प्रस्तुत अपील मेमो में उत्तरार्थी निम्न प्रकार हैं :—

1. दायम तनय इस्माईल उर्फ ईसम खॉ
2. हबीब तनय इस्मायल उर्फ ईसम खॉ

अनुविभागीय अधिकारी ने आवेदकगण एंव उक्त अनावेदकों के बीच आदेश दिनांक 12—2—15 से प्रकरण निराकृत किया है, जबकि आवेदकगण ने विचाराधीन निगरानी में दायम तनय इस्माईल उर्फ ईसम खॉ को अनावेदक के रूप में पक्षकार बनाया जाकर निगरानी प्रस्तुत की है एंव हबीब तनय इस्मायल उर्फ ईसम खॉ को पक्षकार नहीं बनाया है इस प्रकार प्रस्तुत निगरानी में पक्षकारों के असंयोजन का दोष है।

5/ अनुविभागीय अधिकारी, अजयगढ़ जिला पन्ना व्दारा प्रकरण कमांक 13 अ—27/2013—14 अपील में पारित आदेश दिनांक 11—2—2015 के अवलोकन

पर स्थिति यह है कि उन्होंने तहसीलदार वृत्त धरमपुर तहसील अजयगढ़ के प्रकरण कमांक 3 अ—27/13—14 में पारित आदेश दिनांक 30—12—13 के विरूद्व प्रस्तुत अपील को 35 दिवस विलम्ब से प्रस्तुत होने एंव तहसीलदार के आदेश दिनांक 30—12—13 की प्रमाणित प्रतिलिपि 28—1—14 को मिलने के वाद 4—2—14 को अपील प्रस्तुत होने में हुये विलम्ब के 6 दिवस के दिन प्रतिदिन का हिसाव न दिये जाने के आधार पर अपील बेरूम्याद मानकर निरस्त की है। स्टेट आफ एम0पी0 बनाम फकीरचंद 1980(2) म0प्र0वी0नो0 199 एंव स्टेट आफ एम0पी0 बनाम रामप्रकाश 1989 जे0एल0जे0 36 एम0पी0 के न्याय दृष्टांत हैं कि — परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 — विलम्ब क्षमा किये जाने के समुचित कारण दर्शाए जाने में विफलता पाई गई। विलम्ब क्षमा नहीं किया जा सकता है। अनुविभागीय अधिकारी व्दारा पारित आदेश दिनांक 11—2—2015 की स्थिति भी इसी प्रकार है जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी, अजयगढ़ व्दारा प्रकरण कमांक 13 अ—27/2013—14 अपील में पारित आदेश दिनांक 11—2—2015 हस्तक्षेप योग्य नहीं पाया गया है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी, अजयगढ़ जिला पन्ना व्दारा प्रकरण कमांक 13 अ—27/2013—14 अपील में पारित आदेश दिनांक 11—2—2015 हस्तक्षेप योग्य नहीं पाया गया है। अतः निगरानी निरस्त की जाती है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
म0प्र0ग्वालियर